राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

क्रमांकः पी.आर.ओ./2023/238 दिनांकः 21/7/23

परिपत्र

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा समाचार पत्रों में जारी किये जाने वाले विज्ञापनों के प्रकाशन के बाद प्रस्तुत होने वाले भुगतान बिलों में सकल विज्ञापन राशि की एक प्रतिशत राशि की कटौती पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष के लिए की जानी है। इसके लिए सभी भुगतान अधिकारी विज्ञापन बिलों के अंतिम भुगतान से पूर्व एक प्रतिशत की राशि पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष के लिए एटसोर्स कटौती कर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.9(पी.आर.बी.) सम्पर्क/विविध/2014/18496–705 दिनांक 20.09.2017 के क्रम में पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

विज्ञापन की सकल राशि में से की गई एक प्रतिशत कटौती की पृथक से सूचना विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विज्ञापन एजेन्सी को देना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

क्रमांकः पी.आर.ओ./2023/239–339 दिनांकः 24/7/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधिष्ठाता, समस्त संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. प्राचार्य, समस्त संगठक महाविद्यालय (प्रातः एवं सायं), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. निदेशक, समस्त केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
7. मुख्य कुलानुशासक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. मुख्य आवासाधिकारी (छात्र/छात्रा), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार/परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. समस्त चिकित्साधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. प्रभारी अधिकारी, उद्यान कार्यालय/विश्वविद्यालय प्रेस, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
13. विश्वविद्यालय अभियन्ता, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
14. समस्त उप कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
15. उप कुलसचिव (लेखा एवं वित्त), राज. वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञापन बिलों में सकल विज्ञापन राशि में एक प्रतिशत की कटौती को पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित करें।
16. निजी सचिव–कुलपति/वरिष्ठ निजी सहायक–कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

(डॉ. भूपेन्द्र सिंह शेखावत)
जनसम्पर्क अधिकारी